

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में

प्रबंधक

सन साइन चिल्डन एकेडमी भोगपुर, ब्लाक-बढ़ापुर
जनपद- बिजनौर।

पत्रांक बेसिक/मान्यता/ 2293- 98 / 2019-20

दिनांक 27/05/19

विषय-

नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सन साइन चिल्डन एकेडमी भोगपुर, ब्लाक-बढ़ापुर जनपद - बिजनौर को दिनांक 01-04-2019 से दि 31-03-2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम प्रदान करने की सम्मति देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा- विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि: शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- 1 प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फैल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- 2 किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
- 3 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा नहीं की जाएगी।
- 4 प्राथमिक शिक्षा पूरी करेन वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा,
- 5 अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा,
- 6 अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनताम अर्हताएं अर्जित करेगे,
- 7 अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- 8 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।


m

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

- (1) विधालय परिसर का क्षेत्रफल – 8140 वर्ग मीटर
- (2) कुल निर्मित क्षेत्र – 1044.73 वर्ग मीटर
- (3) कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल— 7095.27 वर्ग मीटर
- (4) कक्षाओं की संख्या—20
- (5) प्राध्यापक — सह कार्यालय—सह भंडागढ़ के लिए कक्ष—03
- (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय—उपलब्ध है।
- (7) पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।
- (8) मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई—योजना लागू नहीं है।
- (9) बाधा रहित पहुँच—है।
- (10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्कालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा — स्थन का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधिन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14 आपके विद्यालय को आवृत्ति मान्यता कोड सं016..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालनको सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

मवदीय


(महेश चन्द्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ०सं० बेसिक /

2019 – 20

तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
- 2— सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 4— जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अन्यसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद—बिजनौर।
- 5— संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद—बिजनौर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।